निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

	ग्राम विद्युतीकरण				पम्पसैटों का ऊर्जन			
	1990-91		1991-92		1990-91		1991-92	
	लक्ष्य	उप-लब्धियां	लक्ष्य	उप-लब्धियां	लक्ष्य	उप-लब्धियां	लक्ष्य	उप-लब्धियां
उत्तर प्रदेश	2350	2207	1150 (अगस्त, '91 तक)	146	16100	18506	18500 (अगस्त, '91 तक)	5650
मध्य प्रदेश	1950	2980	1620 (सितम्बर, '91 तक)	298	63000	85500	64250 (सितम्बर, '91 तक)	9867

जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, जब कि 1990-91 के दौरान पम्पसैट ऊर्जन से संबंधित लक्ष्यों से अधिक पम्प ऊर्जित किए गए थे, तथापि ग्राम विद्युतीकरण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के मुख्य कारण के लिए निधियों संबंधी बाधाएं उत्तरदायी हैं।

जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, 1990-91 के दौरान दोनों पम्पसैट ऊर्जन और ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे। इन राज्यों के लिए चालू वर्ष से संबंधित वास्तविक उपलब्धियों के ब्यौरे की जानकारी वर्ष के अंत में ही प्रस्तुत हो सकेगी।

विद्युत पारेषण की विद्यमान सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव

1119. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या **विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रिड प्रबन्धन और संचार सहित विद्युत पारेषण की वर्तमान सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ताकि ग्रिड में बार-बार होने वाली खराबी को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) जी, हां। उप भोक्ताओं को बेहतर निश्चित तथा विश्वसनीय विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड प्रबंधन और संचार सहित विद्युत पारेषण की विद्यमान सुविधाओं में विस्तार करने के लिए सरकार पहले से ही आवश्यक कदम उठा रही है। अंतर्राज्यीय और अंतर्क्षेत्रीय पारेषण लाइनों का नेटवर्क पहले से ही विद्यमान है। इसमें 400 के०वी० की लगभग 25000 सर्किट किलोमीटर और एच. वी.डी.सी. की 817 कि.मी. की पारेषण लाइनें शामिल हैं। आठवीं योजना अवधि के दौरान 400 के.वी., 765 के०वी० और एच.वी.डी.सी. लाइनों समेत अन्य पारेषण लाइनों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है। उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में विद्यमान भार प्रेषण

सुविधाओं में विस्तार किए जाने के लिए स्कीमें पूरा होने की अग्रिम अवस्था में हैं। अन्य क्षेत्रों के बारे में इस प्रकार की विस्तार संबंधी स्कीमें, निर्माण/स्वीकृतियों की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विद्युत के पारेषण और वितरण के दौरान हुई विद्युत क्षति

1120. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या **विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान विद्युत के पारेषण और वितरण में विद्युत की कितनी क्षति हुई और यह विद्युत के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है; और

(ख) नव-गठित नेशनल पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन द्वारा इस क्षति को किस हद तक कम किये जाने की अपेक्षा है और इस क्षति को घटाने के लिए कौन-कौन से अतिरिक्त उपाय किये जा रहे हैं?

विद्युत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) विगत के वित्तीय पांच वर्षों के दौरान देश में बिजली से संबंधित पारेषण और वितरण (टी. एण्ड डी.) हानियों तथा इनकी मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	पारेषण एवं वितरण हानियों की प्रतिशतता (%)	पारेषण एवं वितरण हानियां (मिलियन यूनिट)
1985-86	21.74	34194
1986-87	21.74	37784
1987-88	22.48	42231
1988-89	21.61	46032
1989-90	22.99	52215 (अनन्तिम)

पारेषण एवं वितरण हानियों में तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां शामिल हैं। तकनीकी हानियां विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए प्रणाली में इस्तेमाल किए गए कण्डक्टर और उपस्करों में ऊर्जा के क्षय के कारण होती हैं। प्रणाली में अन्तर्निष्ठ इस प्रकार की हानियों से पूर्णतः छुटकारा पाना तो संभव नहीं है तथापि लाइनों के बेहतर डिजाइन वितरण उपकेन्द्रों के लिए पुनः स्थानों का निर्धारण करना, कैपेसिटर अधिष्ठापित करना, उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों के इस्तेमाल आदि से इनको किसी सीमा तक कम किया जा सकता है। वाणिज्यिक हानि और/अथवा लेखे-जोखे में न ली गई हानियां, मुख्य रूप से वितरण स्तर पर ही होती हैं। ये दोषपूर्ण मीटर रीडिंग, खराब मीटर, मीटर के बगैर सप्लाई, ऊर्जा की चोरी के कारण होती हैं। हाल ही में गठित राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम इन तकनीकी हानियों को किसी सीमा तक कम करने में सहायक होगा। तकनीकी तथा वाणिज्यिक दोनों प्रकार की हानियों को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं:- (1) अत्याधिक हानियों के लिए प्रणाली-गत उत्तरदायी घटकों का पता लगाने हेतु राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों (एस.ई.बी./ई.डी.) द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा संबंधी कार्य किए जाने, (2) ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में पारेषण और वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना, (3) कैपेसिटर अधिष्ठापित करना, राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों की विद्युत प्रणालियों के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा लागू करना, (4) ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है, और (5) पारेषण और वितरण संबंधी हानियों को कम करने के लिए प्रोत्साहन स्कीम लागू करना। राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा इन उपायों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किए जाने से हानियों की मात्रा में कटौती करने में सहायता मिलेगी।